

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-05/2025 श्र0सं0-5447

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

मनीष कुमार,  
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, किशनगंज एवं बक्सर।  
श्रम अधीक्षक, नवादा।

पटना, दिनांक- 04/09/2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघुशीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26, उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) एवं मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत के अन्तर्गत CFMS2.0 Software से आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत CFMS2.0 Software से राशि आवंटित की गई है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

3. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु :-

| क्र0<br>सं0 | विषयशीर्ष<br>37.01-अनुग्रह<br>अनुदान | जिला का<br>नाम | निकासी एवं<br>व्ययन<br>पदाधिकारी का<br>नाम | विमुक्त<br>बाल<br>श्रमिकों<br>की संख्या | आवंटित<br>राशि (रु) | अभ्युक्ति                                                                  |
|-------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                    | 3              | 4                                          | 5                                       | 6                   | 7                                                                          |
| 1           | 0103.37.01                           | किशनगंज        | जिला<br>पदाधिकारी,<br>किशनगंज              | 03                                      | 15000               | श्रम अधीक्षक, किशनगंज का<br>पत्रांक-799, दिनांक-20.08.2025 के<br>आलोक में। |
|             | कुल योग                              |                |                                            | 03                                      | 15,000              |                                                                            |

4. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास-उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक

पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230011030103) योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 3,000/-की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु : -

| क्र०सं० | कार्यालय का नाम     | 21-सामग्री और आपूर्ति     |                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                                      | कुल योग (रु) | अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)                     |
|---------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|         |                     | विमुक्त बाल श्रमिक की सं० | विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0103.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर सं | विषयशीर्ष दवा भण्डार (0103.21.02) त विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से | विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0103.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से |              |                                                                |
| 1       | 2                   | 3                         | 4                                                                                                      | 5                                                                                            | 6                                                                                                    | 7            | 8                                                              |
| 1       | श्रम अधीक्षक, नवादा | 01                        | 2800                                                                                                   | 100                                                                                          | 100                                                                                                  | 3000         | श्रम अधीक्षक, नवादा पत्रांक-951 दिनांक-13.08.2025 के आलोक में। |
|         | कुल-                | 01                        | 2800                                                                                                   | 100                                                                                          | 100                                                                                                  | 3000         |                                                                |

4. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 5,000/-की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु : -

| क्र० सं० | विषयशीर्ष 37.01-अनुग्रह अनुदान | जिला का नाम | निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का नाम | विमुक्त बाल श्रमिकों की संख्या | आवंटित राशि(रु) | अभ्युक्ति                                                          |
|----------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                              | 3           | 4                                | 5                              | 6               | 7                                                                  |
| 1        | 0104.37.01                     | बक्सर       | जिला पदाधिकारी, बक्सर            | 01                             | 5000            | श्रम अधीक्षक, बक्सर का पत्रांक-615, दिनांक-26.07.2025 के आलोक में। |
|          | कुल योग                        |             |                                  | 01                             | 5000            |                                                                    |

5. मांग संख्या-26-मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम- लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0104-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-26-2230017890104) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के विमुक्त बाल श्रमिकों के लिए रु 3,000/-की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु : -

| क्र०स० | कार्यालय नाम        | विमुक्त बाल श्रमिक की सं० | 21-सामग्री और आपूर्ति                                                                                  |                                                                                               |                                                                                                      | कुल योग (रु.) | अभ्युक्ति (कार्यालय का पत्रांक एवं दिनांक)                     |
|--------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                     |                           | विषयशीर्ष सामग्री एवं पूर्तियाँ (0104.21.01) से 2300/- राशन एवं 500/- वस्त्र प्रति बाल श्रमिक की दर से | विषयशीर्ष दवा भण्डार (0104.21.02) से विमुक्ति के समय दवा हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से | विषयशीर्ष आहार/पथ्य (0104.21.03) से विमुक्ति के समय भोजन/नास्ता हेतु-100/- प्रति बाल श्रमिक की दर से |               |                                                                |
| 1      | 2                   | 3                         | 4                                                                                                      | 5                                                                                             | 6                                                                                                    | 7             | 8                                                              |
| 1      | श्रम अधीक्षक, नवादा | 02                        | 5600                                                                                                   | 200                                                                                           | 200                                                                                                  | 6000          | श्रम अधीक्षक, नवादा पत्रांक-951 दिनांक-13.08.2025 के आलोक में। |
|        | कुल-                | 02                        | 5600                                                                                                   | 200                                                                                           | 200                                                                                                  | 6000          |                                                                |

- यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2244 दिनांक-02.05.2025 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में "बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना" अनुदान की राशि रु 3000/- (रु तीन हजार) की दर से स्थायी अग्रिम से भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति हेतु एवं रु 5000/- (रु पाँच हजार) मात्र, प्रति विमुक्त बाल श्रमिक की दर से की दर से जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा कराने हेतु आवंटित की गयी है।
- अनुरोध है कि बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजना के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान/जमा किया जाय। भुगतान/जमा के पश्चात् संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- अनुरोध है कि यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98 के आलोक में है।
- अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से, किसी भी परिस्थिति में, अधिक भुगतान/जमा नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक भुगतान/जमा किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए भुगतान/जमा की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
- अनुरोध है कि आवंटित राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त बाल श्रमिकों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभान्वित नहीं किया गया हो।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
- श्रमायुक्त, बिहार, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापक: 6/एफ1-05/2025 श्र0सं0- 5447

पटना, दिनांक- 04/05/2025

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार तथा उप कोषागार पदाधिकारी/ संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष/आईटीएमनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से अविलम्ब सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

Signed by Manish Kumar

Date: 03-09-2025 17:48:41

(मनीष कुमार)

सहायक श्रमायुक्त।